न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – राम निवास मेहता

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
17 / 2024	04.03.2024	10.01.2025

1. सन्तोषकुमार पुत्र सीताराम जाति मीना निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज।
2. पिंकी मीना पुत्री सीताराम जाति मीना निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज।
3. कमलेश पुत्री सीताराम जाति मीना निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज हाल ढगारिया।
4. रिनाकुमारी पुत्री सीताराम जाति मीना निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज।
5. दशरथ पुत्र सीताराम जाति मीना निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
6. केदारीबाई पत्नि स्वर्गीय सीताराम जाति मीना निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
7. मोहनलाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज।
8. शम्भुदयाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

उपस्थित वादीगण अधिवक्ता एस0 एन0 मीणा

निर्णय

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट 1955

संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि वादीगणों कि सयुक्त खाते एवं कब्जे कास्त कि आराजी वाके माल राजपुरा पटवार हल्का बम्बुलिया खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. संवत 2073 से 2076 खाता संख्या नया 45 पुराना भी 41 कि ख.नं. 222 रकबा 0.76 है. ख.नं. 254 रकबा 1.50 है0 ख.न. 254 / 580 रकबा 1.74 है0 ख.नं. 334 रकबा 0.02 है. ख.नं. 439 रकबा 0.66 है ख.नं. 51 / 621 रकबा 0.60 है ख.नं. 70 रकबा 2.40 हैक्टर है. कुल किता

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

7 का कुल रकबा 7.68 है0 आराजी खातेदारान कि सयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रहीं है।

यह कि वादीगणों के सयुक्त खातेदारी कि आराजी में वादीगण क्र0 1 लगायत 6 स्वर्गीय सीताराम के पुत्र है जिनमें से 1 लगायत 4 के प्रत्येक के नाम दो–दो है इसलिय वादीगणों क्र0 1 लगायत 4 के नाम राजकीय दस्तावेजों में जो नाम है उनको राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया और बोलते नामों को गाँव में पुछताछ कर रेवेन्यु अधिकारीयों ने रेवेन्यु रेकार्ड में वादीगणों से राजकीय दस्तावेज को नहीं लिए बिना राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिए गए हैं। वादीगणों के दस्तावेज आधार कार्ड व राजकीय विद्यालयों के दस्तावेजों के आधार पर अगर नाम दर्ज करते तो त्रुटि नहीं होती इस प्रकार वादी क्र0 1 का नाम सन्तोषकुमार है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में दरवार दर्ज कर दिया, वादी क्र0 2 का नाम पिंकी मीना है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में गुड्डी दर्ज कर दिया, वादी कम 3 का नाम कमलेश है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में कमला दर्ज कर दिया, वादी क्र0 4 का नाम रिनाकुमारी है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में रेना दर्ज कर दिया अर्थात उक्त वादीगणों को दो–दो नाम से पुकारा जाता हैं लेकिन वादीगणों का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटिंग लिस्ट जॉबकार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में क्रमश सन्तोषकुमार, पिंकी, कमलेश, रिनाकुमारी दर्ज है ।

यह कि वादीगणों के समस्त दस्तावेजों में नाम सन्तोषकुमार, पिंकी, कमलेश, रिनाकुमारी होने व जमाबन्दी में अन्य नाम होने से वादीगणो को किसी भी राजकिय संस्थान में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है सरकारी एवं अर्द सरकारी संस्थाओं में ऋण आदी प्राप्त नहीं कर सकता और कई सारी परेशानियों का सामना करना पडता है।

यह कि उपरोक्त आराजी वादीगणों एवं वादीगणों के परिवार के सदस्यों कि पुस्तैनी एवं सयुक्त आराजी है जिसके उपयोग उपभोग से वादीगणो का जीवनयापन होता है इसलिए वर्तमान में तनाम संस्थानो में उपयोग के लिय उक्त वादीगणों नामो का सही होना अतिआवयक है। उक्त नाम वादीगण क्र0 1 लगायत 5 के पिता सीताराम व प्रार्थीया कम 6 के पति सीताराम कि मृत्यु हो जाने से जरिये नामान्तकरण नाम दर्ज हुये है उक्त नामान्तकरण फौती नामान्तकरण है। जो विरासतन रेवेन्यु रेकार्ड व रकबा के अनुसार सही है और नामान्तकरण में भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद नहीं है नहीं कोई रिलिफ लैण्ड होल्डर व अन्य व्यक्ति से भूमि के रकबा से संबन्धित वाद पत्र में चाहीं गई है।

अतः वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय कि डिक्री एंव निर्णय जारी कर आदेश दिया जावे कि वादीगण के सयुक्त खात कि आराजी एवं जमाबन्दी वाके माल राजपुरा पटवार हल्का बम्बुलिया खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज संवत 2073 से 2076 खाता संख्या नया 45 पुराना भी 41 कि ख.नं. 222 रकबा 0.76

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

है. ख.नं. 254 रकबा 1.50 है0 ख.नं 254/580 रकबा 1.74 है0 ख.नं. 334 रकबा 0.02 है0 ख.नं. 439 रकबा 0.66 है ख.नं. 51/621 रकबा 060 है. ख.नं. 70 रकबा 2.40 हैक्टर है. कुल किता 7 का कुल रकबा 7.68 है0 आराजी खातेदारान कि शामिल खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि एवं रेवेन्यु रेकार्ड में वादीगणो का नाम वाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजों के अनुसार वादी क्रम 1 का नाम सन्तोषकुमार है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में दरबार दर्ज कर दिया, वादी क्रम0 2 का नाम पिंकी मीना है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में गुड्डी दर्ज कर दिया, वादी क्रम0 3 का नाम कमलेश है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में कमला दर्ज कर दिया, वादी क्रम0 4 का नाम रिनाकुमारी है इस प्रकार से क्रमशः वादीगणो के नाम सन्तोषकुमार पुत्र सीताराम पिंकी पुत्री सीताराम कमलेश पुत्री सीताराम रिनाकुमारी पुत्री सीताराम दुरस्त कर रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किए जाए।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिये सम्मन करवायी गई। प्रतिवादी क्र0 5 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया एवं तहसीलदार पीपल्दा पत्र क्रमांक राजस्व/2023/882 दिनांक 06.12.2023 द्वारा जवाब सरकार पेश किया। जवाब सरकार में सरकार पैरोकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार में पटवार मण्डल बम्बूलियां खुर्द व भू0–अभिलेख निरीक्षक मैंता की रिपोर्ट के आधार पर दरबार पुत्र सीताराम व सन्तोष पुत्र सीताराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया गया है। इसी प्रकार कमला पुत्री सीताराम व कमलेश पुत्री सीताराम एक ही महिला के दो अलग–अलग नाम होना बताया गया है। रेना पुत्री सीताराम व रीना पुत्री सीताराम भी एक ही महिला के नाम होना बताया है तथा गुड्डी पुत्री सीताराम व पिंकी मीणा पुत्री सीताराम एक ही महिला के दो अलग अलग नाम होना बताया है। पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई दौराने बहस में वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया गया। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट व कार्यालय ग्राम पंचायत बम्बूलिया कलां के सरपंच की रिपोर्ट के आधार पर सन्तोषकुमार, पिंकी, कमलेश, रिनाकुमारी है। पत्रावली में प्रतिवादी के प्रस्तुत जवाब सरकार में भी दरबार पुत्र सीताराम व सन्तोष पुत्र सीताराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया गया है। इसी प्रकार कमला पुत्री सीताराम व कमलेश पुत्री सीताराम एक ही महिला के दो अलग–अलग नाम होना बताया गया है। रेना पुत्री सीताराम व रीना पुत्री सीताराम भी एक ही महिला के नाम होना बताया है तथा गुड्डी पुत्री सीताराम व पिंकी मीणा पुत्री सीताराम एक ही महिला के दो अलग अलग नाम होना बताया है। अतः वादीगण का नाम सन्तोषकुमार पुत्री सीताराम मीणा, पिंकी पुत्री सीताराम मीणा, कमलेश पुत्री सीताराम मीणा, रिनाकुमारी पुत्री सीताराम मीणा कर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Raminwas

उपखण्ड अधिकारी,
इटावा

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यह कि माल राजपुरा पटवार हल्का बम्बुलिया खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. संवत 2073 से 2076 खाता संख्या नया 45 पुराना भी 41 कि ख.नं. 222 रकबा 0.76 है. ख.नं. 254 रकबा 1.50 है0 ख.न. 254/580 रकबा 1.74 है0 ख.नं. 334 रकबा 0.02 है. ख.नं. 439 रकबा 0.66 है ख.नं. 51/621 रकबा 0. 60 है ख.नं. 70 रकबा 240 हैक्टर है. कुल किता 7 का कुल रकबा 7.68 है0 वादीगणो का नाम दरबार के स्थान पर सन्तोष कुमार उर्फ दरबार पुत्र सीताराम मीणा, गुड्डी के स्थान पर पिंकी उर्फ गुड्डी पुत्री सीताराम मीणा, कमला के स्थान पर कमलेश उर्फ कमला पुत्री सीताराम मीणा, रेना के स्थान पर रीना कुमारी उर्फ रेना पुत्री सीताराम मीणा अंकित करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/1/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Raminwoo

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

इटावा जिला कोटा

इटावा